न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ़ जिला अलवर

पीठासीन अधिकारी :– श्री संजय शर्मा *आर. ए. एस.*

दावा	तारीख रजू	प्रारम्भिक तारीख निर्णय
1/148	19.07.2016	08.09.2016

उनवान

1. साफिया जुबेर पत्नी श्री जुबेर खांन निवासी ग्राम रामगढ तहसील रामगढ जिला अलवर राज0।

...............................वादनी

बनाम

1. हाजरा स्त्री फजरू,
2. रहीमन स्त्री इस्माईल,
3. कपूरी स्त्री स्व0 रहीम खां जातियान मेव निवासियान ग्राम आदिनाका तहसील रामगढ जिला अलवर राज0।
4. उप पंजियक महोदय, रामगढ जिला अलवर।

...............असल प्रतिवादीगण

5. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब बहैसियत लैण्ड होल्डर तहसील रामगढ जिला अलवर।

.... तकमीली प्रतिवादी

(अन्तर्गत धारा 53, 188 आरटीएक्ट)

उपस्थित अभिभाषकगण :–
1. श्री दिनेश शर्मा एडवोकेट – वादनी
2. श्री संजय कुमार एडवोकेट – प्रतिवादीगण

प्रारम्भिक निर्णय

वादनी द्वारा प्रस्तुत वाद का विवरण संक्षेप में इस प्रकार है कि आराजी हाल खसरा नम्बर 132 रकबा 0.86 हैक्ट0 वाके ग्राम आदिनाका तहसील रामगढ जिला अलवर में स्थित आराजी वादनी व प्रतिवादी सं0 1 ला0 3 की शामलाती की कब्जे काश्त रिकार्डेड खातेदारी की आराजी है, जो अबट आराजी है, जिसमें वादनी का 2/3 हिस्सा व प्रतिवादी सं0 1 का 1/15 हिस्सा, प्रतिवादी सं0 2 का 1/15 हिस्सा तथा प्रतिवादीसं0 3 का 3/15 हिस्सा है तथा इसी प्रकार वादनी व प्रतिवादीगण उक्त हिस्सानुसार अपने-अपने

हिस्से पर काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है। उक्त विवादित आराजी अबट आराजी है। जिसका आज तक विधिक बंटवारा नही हुआ है, विवादित आराजी में प्रत्येक हिस्सेदार का 1–1 इंच पर अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी का हिस्सा है। छोटी–छोटी बातो को लेंकर आये दिन विवाद की स्थिति पैदा होती है। इसलिए विवादित आराजी का विधिक बटवारा किया जाना न्यायहित में आवश्यक है।

अतः प्रार्थना है कि आराजी हाल खसरा नम्बर 132 रकबा 0.86 हैक्ट0 वाके ग्राम आदिनाका तहसील रामगढ जिला अलवर में से वादनी का 2/3 हिस्सा व प्रतिवादी सं0 1 का 1/15 हिस्सा, प्रतिवादी सं0 2 का 1/15 हिस्सा तथा प्रतिवादीसं0 3 का 3/15 हिस्सा का बंटवारा किया जाकर वादनी व प्रतिवादीगण सं0 1 ला0 3 के नाम का अलग खाता अलग लगान कायम किया जावे। तथा तरफ डाली जावे।

वादनी का वाद दर्ज रजिस्टर्ड किया जाकर प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण सं0 1 ला0 3 की ओर से न्यायालय में उपस्थित होकर इकबाल जवाब प्रस्तुत किया जिसका विवरण इस प्रकार है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 132 रकबा 0.86 हैक्ट0 वाके ग्राम आदिनाका तहसील रामगढ जिला अलवर में प्रतिवादी सं0 1 हाजरा पत्नी फजरू का 1/15 हिस्सा, प्रतिवादी सं0 2 रहीमन पत्नी इस्माईल का 1/15 हिस्सा, प्रतिवादी सं0 3 कपूरी बेवा रहीम खां का 3/15 हिस्सा व वादी का उक्त आराजी में हिस्सा है। यदि उक्त हिस्सानुसार वादी व प्रतिवादीगण के नाम अलग खाता व लगान कायम किया जाता है तो हम प्रतिवादीगण को कोई आपत्ति नही है।

वादनी ने दावे की ताईद में नकल हाल जमाबन्दी सम्वत 2070–73 वाके ग्राम आदिनाका, नकल नक्शा ट्रेस सन् 2000 वाके ग्राम आदिनाका, नकल खसरा गिरदावरी सम्वत 2070–73 वाके ग्राम आदिनाका आदि दस्तावेज प्रस्तुत किये गये।

वादनी के विद्वान वकील की बहस सुनी गई। वादनी के विद्वान वकील ने बहस के दौरान दावे में अंकित तथ्यो को दोहराते हुए बताया कि वादनी व प्रतिवादी सं0 1 ला0 3 की शामलाती की कब्जे काश्त रिकार्डेड खातेदारी की आराजी है, जो अबट आराजी है, जिसमें वादनी का 2/3 हिस्सा व प्रतिवादी सं0 1 का 1/15 हिस्सा, प्रतिवादी सं0 2 का 1/15 हिस्सा तथा प्रतिवादीसं0 3 का 3/15 हिस्सा है तथा इसी प्रकार वादनी व प्रतिवादीगण उक्त हिस्सानुसार अपने–अपने हिस्से पर काबिज रहकर काश्त करते चले आ

रहे है। जिसका आज तक विधिक बंटवारा नही हुआ है। अतः अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी हिस्सानुसार व मौके अनुसार तकसीम करायी जावे। प्रतिवादीगण ने इकबाल जवाब पेश कर निवेदन किया है कि वादनी के दावे अनुसार अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी तकसीम की जाती है तो हमें किसी प्रकार की कोई आपत्ति नही है।

पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अध्ययन किया। वादनी के विद्वान वकील की बहस एवं प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत इकबाल जवाब पर मनन करने से प्रतीत होता है कि विवादित आराजी वादनी व प्रतिवादी सं0 1 ला0 3 की शामलाती की कब्जे काश्त रिकार्डेड खातेदारी की आराजी है, जो अबट आराजी है। वादनी व प्रतिवादीगण उक्त हिस्सानुसार अपने–अपने हिस्से पर काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है। जिसका आज तक विधिक बंटवारा नही हुआ है। ऐसी स्थिति में विवादित आराजी का अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी तकसीम किया जाना उचित प्रतीत होता है।

वादनी का वाद स्वीकार किया जाकर इस प्रकार डिक्री किया जाता है कि आराजी हाल खसरा नम्बर 132 रकबा 0.86 हैक्ट0 वाके ग्राम आदिनाका तहसील रामगढ जिला अलवर वादी व प्रतिवादीगण को राजस्व रिकार्ड में हिस्सा अनुसार व मौके के अनुसार अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी नियमानुसार तकसीम कर प्रारम्भिक डिक्री विभाजन अनुसार तहसीलदार रामगढ प्रस्ताव तैयार कर आगामी दिनांक 20.09.2016 से पूर्व भिजवाये। बाद विभाजन वादनी व प्रतिवादी एक दूसरे की आराजी के कब्जे काश्त में रूकावट व मजाहमत नही करेगे, इस कदर पाबन्द किया जावे। इसी प्रकार प्रारम्भिक पर्चा डिक्री बनायी जावे।

निर्णय मेरे द्वारा लिखया जाकर आज दिनांक 08.09.2016 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
रामगढ (अलवर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ़ जिला अलवर

पीठासीन अधिकारी :– श्री संजय शर्मा *आर. ए. एस.*

दावा	तारीख रजू	प्रारम्भिक तारीख निर्णय
1 / 148	19.07.2016	08.09.2016

उनवान

1. साफिया जुबेर पत्नी श्री जुबेर खांन निवासी ग्राम रामगढ तहसील रामगढ जिला अलवर राज0।

..........................वादनी

बनाम

1. हाजरा स्त्री फजरू,
2. रहीमन स्त्री इस्माईल,
3. कपूरी स्त्री स्व0 रहीम खां जातियान मेव निवासियान ग्राम आदिनाका तहसील रामगढ जिला अलवर राज0।
4. उप पंजियक महोदय, रामगढ जिला अलवर।

................असल प्रतिवादीगण

5. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब बहैसियत लैण्ड होल्डर तहसील रामगढ जिला अलवर।

.... तकमीली प्रतिवादी

(अन्तर्गत धारा 53, 188 आरटीएक्ट)

उपस्थित अभिभाषकगण :–

1. श्री दिनेश शर्मा एडवोकेट – वादनी
2. श्री संजय कुमार एडवोकेट – प्रतिवादीगण

प्रारम्भिक पर्चा डिक्री

वादनी का वाद स्वीकार किया जाकर इस प्रकार डिक्री किया जाता है कि आराजी हाल खसरा नम्बर 132 रकबा 0.86 हैक्ट0 वाके ग्राम आदिनाका तहसील रामगढ जिला अलवर वादी व प्रतिवादीगण को राजस्व रिकार्ड में हिस्सा अनुसार व मौके के अनुसार अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी नियमानुसार तकसीम कर प्रारम्भिक डिक्री विभाजन अनुसार तहसीलदार रामगढ प्रस्ताव तैयार कर आगामी दिनांक 20.09.2016 से पूर्व भिजवाये। बाद विभाजन वादनी व प्रतिवादी एक दूसरे की आराजी के कब्जे काश्त में रूकावट व मजाहमत नही करेगे, इस कदर पाबन्द किया जावे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 08.09.2016 को तैयार की जाकर शामिल मिसल की गई।

उपखण्ड अधिकारी
रामगढ (अलवर)

<u>न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ़ (अलवर)</u>

पीठासीन अधिकारी :– श्री संजय शर्मा आर. ए. एस.

दावा	<u>तारीख रजू</u>	तारीख निर्णय
1/148	19.07.2016	20.09.2016

उनवान

1. साफिया जुबेर पत्नी श्री जुबेर खांन निवासी ग्राम रामगढ तहसील रामगढ जिला अलवर राज0।

..............................वादनी

बनाम

1. हाजरा स्त्री फजरू,
2. रहीमन स्त्री इस्माईल,
3. कपूरी स्त्री स्व0 रहीम खां जातियान मेव निवासियान ग्राम आदिनाका तहसील रामगढ जिला अलवर राज0।
4. उप पंजियक महोदय, रामगढ जिला अलवर।

................असल प्रतिवादीगण

5. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब बहैसियत लैण्ड होल्डर तहसील रामगढ. जिला अलवर।

.... तकमीली प्रतिवादी

(अन्तर्गत धारा 53, 188 आरटीएक्ट)

उपस्थित अभिभाषकगण :–

1. श्री दिनेश शर्मा एडवोकेट – वादनी
2. श्री संजय कुमार एडवोकेट – प्रतिवादीगण

<u>निर्णय</u>

पत्रावली पेश हुई। प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम आदिनाका तह0 रामगढ के खसरा नम्बर 132 रकबा 0.86 हैक्ट0 के विभाजन एवं खातेदारी अधिकारों की घोषणा तथा स्थाई निषेधाज्ञा बाबत वादनी साफिया जुबेर पत्नी श्री जुबेर खांन ने दावा न्यायालय हाजा में वादपत्र अन्तर्गत धारा 53, 188 आरटीएक्ट प्रस्तुत किया जिसे दर्ज रजिस्टर्ड किया जाकर प्रतिवादीगण को सुनवाई का अवसर देते हुए निर्धारित प्रक्रिया अनुसार दावा इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 08.09.2016 द्वारा वाद वादनी राजीनामा के आधार पर स्वीकार

कर वादनी को उक्त खसरा नम्बर में विभाजन का अधिकारी घोषित कर वाद प्रारम्भिक डिक्री किया गया एवं कुर्रेजात रिर्पोट राजीनामा अनुसार तहसील रामगढ से ली गई। जिस पर उभयपक्षकारान को सुना गया। उभयपक्षकारान द्वारा विभाजन स्कीम पर सहमति प्रकट करते हुए कोई एतराज नही किया।

आदेश

अतः वाद वादनी स्वीकार किया जाकर मुताबिक विभाजन स्कीम ख0 नं0 132 रकबा 0.86 वाके ग्राम आदिनाका तह0 रामगढ में वादनी साफिया जुबेर पत्नी श्री जुबेर खांन हिस्सा 2/3 निवासी रामगढ को, ख0 नं0 132 मिन रकबा 0.5733 हैक्ट0 तरफ पश्चिम तथा प्रतिवादीगण श्रीमती हाजरा पत्नी फजरू 1/15 हिस्सा, रहीमन स्त्री इस्माईल 1/15 हिस्सा, कपूरी स्त्री स्व0 रहीम खां 3/15 हिस्सा ख0 नं0 132 मिन रकबा 0.2867 हैक्ट0 तरफ पूर्व ग्राम आदिनाका का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी प्रकार पर्चा डिक्री बनाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 20.09.2016 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
रामगढ (अलवर)

<u>न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ़ (अलवर)</u>

पीठासीन अधिकारी :– श्री संजय शर्मा आर. ए. एस.

दावा	तारीख रजू	तारीख निर्णय
1/148	19.07.2016	20.09.2016

उनवान

1. साफिया जुबेर पत्नी श्री जुबेर खांन निवासी ग्राम रामगढ तहसील रामगढ जिला अलवर राज0।

..............................वादनी

बनाम

1. हाजरा स्त्री फजरू,
2. रहीमन स्त्री इस्माईल,
3. कपूरी स्त्री स्व0 रहीम खां जातियान मेव निवासियान ग्राम आदिनाका तहसील रामगढ जिला अलवर राज0।
4. उप पंजियक महोदय, रामगढ जिला अलवर।

................असल प्रतिवादीगण

5. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब बहैसियत लैण्ड होल्डर तहसील रामगढ जिला अलवर।

.... तकमीली प्रतिवादी

(अन्तर्गत धारा 53, 188 आरटीएक्ट)

उपस्थित अभिभाषकगण :–

1. श्री दिनेश शर्मा एडवोकेट – वादनी
2. श्री संजय कुमार एडवोकेट – प्रतिवादीगण

<u>पर्चा डिक्री</u>

वाद वादनी स्वीकार किया जाकर मुताबिक विभाजन स्कीम ख0 नं0 132 रकबा 0.86 वाके ग्राम आदिनाका तह0 रामगढ में वादनी साफिया जुबेर पत्नी श्री जुबेर खांन हिस्सा 2/3 निवासी रामगढ को ख0 नं0 132 मिन रकबा 0.5733 हैक्ट0 तरफ पश्चिम तथा प्रतिवादीगण श्रीमती हाजरा पत्नी फजरू 1/15 हिस्सा, रहीमन स्त्री इस्माईल 1/15 हिस्सा, कपूरी स्त्री स्व0 रहीम खां 3/15 हिस्सा ख0 नं0 132 मिन रकबा 0.2867 हैक्ट0 तरफ पूर्व ग्राम आदिनाका का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 20.09.2016 को तैयार की जाकर शामिल मिसल की गई।

उपखण्ड अधिकारी
रामगढ (अलवर)